न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री अनूप सिंह (आर.ए.एस.)

जी.सी.एम.एस. नम्बर– 2021/15
मुकदमा नम्बर 09/2021 दायर दिनांक : 12–01–2021

श्री बाल विकास विद्या मन्दिर समिति सोटवारा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राजस्थान) जरिये सचिव श्रीमती कल्पना बुडानिया पत्नी श्री प्रदीप कुमार जाति जाट निवासी घोड़ीवारा कलां तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– वादी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी घोड़ीवारा कलां तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
2. सत्येन्द्र पुत्र सुभाष जाति जाट निवासी घोड़ीवारा कलां तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
3. सुनिल पुत्र सुभाष जाति जाट निवासी घोड़ीवारा कलां तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
4. राजस्थान–सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री विप्लव पंडित
वकील प्रति. :– विजेन्द्र सिंह जाखड़

दावा : बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती नक्शा
:: निर्णय ::

दिनांक– 16–02–2021

वादी ने एक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम घोडीवारा खुर्द पटवार हल्का घोड़ीवारा खुर्द की सरहद में नई खाता संख्या 138 की भूमि खसरा नम्बर 93 रकबा 0.50 हैक्टर स्थित है, जिसकी वादी खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व ग्राम घोड़ीवारा खुर्द पटवार हल्का घोडीवारा खुर्द की भूमि खसरा नम्बर 741/93 रकबा 2.33 हैक्टर स्थित है, जिसके खातेदार प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 है। वादी का खातेदारी को लेकर कोई विवाद नही है, मात्र उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व नक्शा गलत बना हुआ है, जिसकी दुरूस्ती वादी करवाना चाहता है, जिसके लिये उक्त वाद पेश किया गया है।

भूमि खसरा नम्बर 93 वादी की खातेदारी का है तथा खसरा नम्बर 741/93 प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 3 की खातेदारी का है। उपरोक्त खसरा नम्बर पूर्व में एक ही खसरा नम्बर 93 रकबा 2.83 हैक्टर से बने है। वादी ने खसरा नम्बर 93 रकबा 2.83 हैक्टर मे से रकबा 0.50 हैक्टर को क्रय किया है तथा विभाजन उपरान्त खसरा नम्बर 93 व 471/93 बने है। यहां पर यह दर्ज किया जा रहा है कि भूमि खसरा नम्बर 93 व 471/93 की खातेदारी व रकबे को लेकर वादी का प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 से कोई विवाद नही है, ना ही कब्जा काश्त को लेकर विवाद है, वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 3 मौके पर रकबे के अनुसार काबिज है, परन्तु मूल खसरा नम्बर 93 रकबा 2.83 हैक्टर का विभाजन होकर अलग–अलग खसरा नम्बर 93 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 471/93 रकबा 2.33 हैक्टर बना तो खसरा नम्बर 93 का राजस्व नक्शा राजस्व कर्मचारियों की गलती व सहवन से छोटा बना दिया तथा खसरा नम्बर 471/93 का नक्शा बड़ा बना दिया, खसरा नम्बर नम्बर 93 का राजस्व नक्शा रकबा 0.50 हैक्टर के मुताबिक नही होकर छोटा बना दिया है तथा खसरा नम्बर 471/93 का नक्शा बड़ा बना दिया है जिससे वादी के अधिकारों पर कुठाराघात आ गया है, हालांकि नक्शा गलत

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

होने से कब्जे कोई फर्क नही पड़ा है, परन्तु राजस्व नक्शे को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इसलिए खसरा नम्बर 93 रकबा 0.50 हैक्टर व खसरा नम्बर 471/93 रकबा 2.33 हैक्टर का राजस्व नक्शा रकबे के मुताबिक दुरूस्त किया जावे, इस आशय की घोषणा की जावे, जिसके लिये वाद पेश किया गया है।

वादी को राजस्व नक्शे के गलत होने के बावत पूर्व में कोई जानकारी नही थी, हाल ही में दिनांक 17.11.2020 को वादी पटवारी हल्का से मिली तथा भूमि के सीमाकंन हेतु निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने यहां कि सीमाकन के लिए प्रतिवादी नम्बर 04 के यहां आवेदन करना होगा तब पटवारी हल्का द्वारा सूचित किया गया कि आपकी भूमि का नक्शा रकबे मुताबिक नही होकर छोटा बना हुआ है, इसलिए श्रीमान के यहां वाद प्रस्तुत कर दुरूस्ती करवानी होगी, फलस्वरूप उक्त वाद श्रीमान की सेवामें में प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद के लिए वादाधिकार दिनांक 17.11.2020 को पटवारी हल्का द्वार नक्शे के गलत होने की जानकारी देने व श्रीमान से आदेश पश्चात दुरूस्ती करवाने हेतु सूचित करने के रोज अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा रहता है, खातेदार इस प्रकार का वाद कभी भी प्रस्तुत कर सकता है।

वादिया द्वारा वाद–पत्र मे अनुतोष के संबंध में निवेदन किया गया कि वाद वादी बहक प्रातिवादीगण डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम घोड़ीवारा खुर्द पटवार हल्का घोड़ीवारा खुर्द की भूमि खसरा नम्बर 93 रकबा 0. 50 तथा खसरा नम्बर 471/93 रकबा 2.33 हैक्टर के राजस्व नक्शे को रकबे के मुताबिक दुरूस्त किया जावे, इस आशय की घोषणा की जावे, इस हेतु प्रतिवादी नम्बर 04 को तहरीर जारी की जावे। अन्य कोई सिद्धी जो चाही जाने से रह गई हो, वादी के हक में पड़ती हो, वह भी दिलवाई जावे।

वादी द्वारा बाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 02 व 04 की तलबी सम्यक रूप से होने के पश्चात इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नम्बर 01 व 03 की ओर से वकील श्री विजेन्द्र सिंह जाखड़ ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल किया गया।

शहादत साक्ष्य वादी में वादी कल्पना बुडानिया पत्नी श्री प्रदीप कुमार जाति जाट निवासी घोड़ीवारा कलां तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू को परीक्षित करवाकर अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2075–2075, प्रदर्श–2 जमाबंदी खसरा नम्बर 471/93 सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श–3 नकल नामान्तरकरण संख्या 359, प्रदर्श–4 जमाबंदी सम्वत् 2064–2067, प्रदर्श–5 राजस्व नक्शा शीट, प्रदर्श–6 राजस्व नक्शा ट्रेश आदि पेश किये। साक्ष्य वादी में कल्पना बुडानिया के चीफ के शपथ– पत्र पेश किये। शहादत वादी में वादी ने स्पष्ट किया है कि ग्राम घोडीवारा खुर्द की सरहद में नई खाता संख्या 138 की भूमि खसरा नम्बर 93 रकबा 0. 50 हैक्टर स्थित जिसकी वादी समिति खातेदारी काश्तकार है तथ भूमि खसरा नम्बर 471/93 रकबा 2.33 हैक्टर के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 खातेदार है। उपरोक्त खसरा नम्बर पूर्व में एक ही खसरा नम्बर 93 रकबा 2.83 हैक्टर से बने है। वादी द्वारा खसरा नम्बर 93 रकबा 2.83 हैक्टर मे से 0.50 हैक्टर को क्रय किया गया है तथा विभाजन उपरान्त खसरा नम्बर 93 व 471/93 बने है। भूमि खसरा नम्बर 93 व 471/93 की खातेदारी व रकबे को लेकर कोई वादी समिति का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से कोई विवाद नही है। ना ही कोई कब्जा काश्त को लेकर विवाद है, परन्तु मूल खसरा नम्बर 93 रकबा 2.83 हैक्टर का विभाजन होकर अलग खसरा नम्बर 93 रकबा 0.50 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 471/93 रकबा 2.33 बना तो खसरा नम्बर 93 का राजस्व नक्शा कर्मचारियो की गलती व सहवन से छोटा बना दिया तथा खसरा नम्बर 471/93 का राजस्व नक्शा बडा बना दिया जिससे वादी के अधिकारो पर क्लाउड आ गया है।

शहादत पेश होने के पश्चात बहस वकील वादी सुनी गई। बहस का बगौर समाहत कि गई तथा पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2075–2075, प्रदर्श–2 जमाबंदी खसरा नम्बर 471/93 सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श–3

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

नकल नामान्तरकरण संख्या 359, प्रदर्श–4 जमाबंदी सम्वत् 2064–2067, प्रदर्श–5 राजस्व नक्शा शीट, प्रदर्श–6 राजस्व नक्शा ट्रेस आदि दस्तावेजात पेश किये है जिनके अवलोनक किया गया। वाद अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्णित खसरा नम्बर 93 वादी की खातेदारी का है तथा खसरा नम्बर 471/93 प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 की खातदेारी का है। उक्त दोनो खसरा नम्बर पूर्व में एक ही खसरा नम्बर से बने होना साबित होता है। यह सही है कि वादी द्वारा खसरा नम्बर 93 रकबा 2.83 हैक्टर में से रकबा 0.50 हैक्टर भूमि को क्रय किया है तथा विभाजन उपरान्त खसरा नम्बर 93 व 471/93 बने है।

वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 3 मौके पर रकवे के अनुसार काबिज है, परन्तु मूल खसरा नम्बर 93 रकबा 2.83 हैक्टर का विभाजन होकर अलग–अलग खसरा नम्बर 93 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 471/93 रकबा 2.33 हैक्टर बना तो खसरा नम्बर 93 का राजस्व नक्शा राजस्व कर्मचारियों की गलती व सहवन से छोटा बना दिया तथा खसरा नम्बर 471/93 का नक्शा बड़ा बना दिया, खसरा नम्बर नम्बर 93 का राजस्व नक्शा रकबा 0.50 हैक्टर के मुताबिक नही होकर छोटा बना दिया है तथा खसरा नम्बर 471/93 का नक्शा बड़ा बना दिया है जिससे वादी के अधिकारों पर क्लाइड आ गया है, हालांकि नक्शा गलत होने से कब्जे कोई फर्क नही पडा है, परन्तु राजस्व नक्शे को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादी का न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम घोड़ीवारा खुर्द पटवार हल्का घोड़ीवारा खुर्द की भूमि खसरा नम्बर 93 रकबा 0.50 तथा खसरा नम्बर 471/93 रकबा 2.33 हैक्टर के राजस्व नक्शे को रकवे के मुताबिक दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनूप सिंह (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री अनूप सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा बाबत विभाजन

मुकदमा सं0:– 09/2021 (बाल विकास समिति बनाम भंवरलाल आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू अनूप सिंह (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 15.02.2021 निर्णयानुसार राजस्व ग्राम घोड़ीवारा खुर्द पटवार हल्का घोड़ीवारा खुर्द की भूमि खसरा नम्बर 93 रकबा 0.50 तथा खसरा नम्बर 471/93 रकबा 2.33 हैक्टर के राजस्व नक्शे को रकबे के मुताविक दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताविक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे।

जन..........–.............. मुबलिग..........–...........बाबत.....–..........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–...........फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–............का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 15 माह 02 सन .2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ
नवलगढ

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	4.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned by CamScanner